

## 11.4 निश्चितता का सिद्धान्त

इस सिद्धान्त का सम्बन्ध इस बात से है कि सरकार कितना निश्चित होकर भावी राजस्व के विषय में बता सकती है। निश्चितता के निम्न चार पहलू हैं :

(क) **भार की निश्चितता (Certainty of Incidence)**—इस पहलू का सम्बन्ध इस विषय से है कि कौन अधिकारी कितना निश्चित होकर करों के प्रभावी भार के विषय कह सकता है। इसके लिए कर विवर्तन की सही जानकारी की जरूरत है। यह ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि किसी कर का भार आगे की ओर टाला जाता है या पीछे की ओर या खुद करदाता द्वारा वहन किया जाता है। इस जानकारी के अभाव में सरकार की किसी भी वित्तीय क्रिया के प्रभाव को ठीक रूप से जाना नहीं जा सकता।

(ख) **दायित्व की निश्चितता (Certainty of Liability)**—इसका सम्बन्ध इस बात से है कि कितना आसानी से तथा कितना निश्चित होकर कर दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

(ग) **अपवंचन अनुपात (Evasion Ratio)**—अपवंचन की मात्रा की जानकारी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी कर से कितना राजस्व प्राप्त होगा। आयकर ही सर्वाधिक अपवंचन का क्षेत्र प्रदा करता है।

(घ) **राजकोषीय निशानेबाजी (Fiscal Markmanship)**—इसका सम्बन्ध इस बात से है कि सरकार कितना निश्चित होकर जान सकती है कि किसी वर्ष में उसे कितना राजस्व प्राप्त होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार के पास कर-आधार के मूल्यों के पूर्वानुमान की कितनी योग्यता है। उदाहरणार्थ आय-कर राजस्व को निश्चित होकर बताने के लिए आय के विषय में सही पूर्वानुमान करना होगा, जबकि मोटर शुल्क से प्राप्त आय की निश्चित जानकारी के लिए मोटरगाड़ियों के स्वामित्व की जानकारी चाहिए।

## 11.5 सुस्पष्टता का सिद्धान्त (Principle of Evidence)

इस सिद्धान्त का उद्देश्य करदाता को कर भुगतान के विषय में अवगत कराना है। कर सार्वजनिक वस्तु के लिए दी गयी कीमत है। प्रजातन्त्र में उपभोक्ता को यह निर्णय लेना है कि सरकार सार्वजनिक वस्तुओं

1 "In order to secure least aggregate sacrifice taxes should be so distributed that the marginal utility of the money paid in taxation is equal to all the payers." —A. C. Pigou, *op. cit.*, p. 57

2 *Ibid.*, pp. 57-58.

का कितना प्रावधान करे तथा किस सीमा तक आय का पुनर्वितरण। परोक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष कर अधिक स्पष्ट होते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष करों को ही श्रेष्ठ कर माना जाता है इस ख्याल से।

### 11.6 प्रशासकीय कुशलता का सिद्धान्त (Principle of Administrative Efficiency)

इस सिद्धान्त का सम्बन्ध कर वसूली की लागत से है। यह सही है कि यह लागत सामान्यतः अधिक नहीं होती, किन्तु वसूली की लागत में सिर्फ कर प्रशासन के कर्मचारियों पर किया गया खर्च ही शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि करदाता द्वारा कर भुगतान करने में खर्च किया गया समय तथा टैक्स, वकीलों एवं लेखाकारों पर व्यय को भी शामिल करना चाहिए। इन सभी मदों को जोड़ने पर कर वसूली की लागत काफी ज्यादा हो सकती है।

### 11.7 अल्प-विकसित देशों में कर के सिद्धान्त (Principles of Taxation in a Developing Economy)

इस बात की जांच की आवश्यकता है कि जिन कर सिद्धान्तों की विवेचना विकसित देशों के सन्दर्भ में की जाती है (जैसे, तटस्थता का सिद्धान्त, समानता का सिद्धान्त, आदि) क्या वे विकासशील देशों के लिए भी उपयुक्त हैं? यदि नहीं तो निर्धन देशों की आवश्यकता के अनुसार किन सिद्धान्तों का सुझाव देना उचित होगा।

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लक्षण विकसित देशों से भिन्न हैं। इसलिए विकसित अर्थव्यवस्था के अनुभवों के आधार पर प्रतिपादित सिद्धान्तों का उपयोग निर्धन देशों में करना उचित नहीं कहा जा सकता है। ऐसा करने के परिणाम भयानक हो सकते हैं। ड्यू का कहना है कि औद्योगिक देशों की कर व्यवस्था को निर्धन देशों में, विशेषकर विकास की प्रारम्भिक अवस्था में, लागू करना सबसे अधिक खतरनाक हो सकता है। इसी सिलसिले में मसग्रेव का कहना है कि कर व्यवस्था जिस रूप में वस्तुतः लागू की जाती है उससे अधिक अच्छी नहीं हो सकती चाहे कर सम्बन्धी कानून कितने भी उन्नत एवं परिष्कृत क्यों न हों। इस बात को स्वीकार करना होगा कि सामाजिक रीति-रिवाज, प्रशासनिक कौशल, व्यावसायिक संगठन तथा व्यवहार ही वह पृष्ठभूमि है जिसका प्रभाव कर नियमों की क्रिया पर पड़ता है। प्रभावी होने के लिए कर नियम वातावरण के साथ समायोजन करना होगा। इसे भी स्वीकारना होगा कि जटिल एवं परिष्कृत स्कीम आदि परिस्थितियों में सर्वाधिक प्रभावी एवं न्यायपूर्ण हो सकती है, किन्तु वास्तविक स्थिति में काफी प्रभावहीन तथा असमान हो सकती है।